50

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : डा0 मधु खरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3601-दो /2014 - विरूद्ध आदेश दिनांक 23-09-2014 - पारित व्दारा - अनुविभागीय अधिकारी, मनासा जिला नीचम - प्रकरण कमांक 16 बी-121/2012-13

श्रीमती मंजु पत्नि कैलाश चन्द काबरा
ग्राम मनासा तहसील मनासा जिला नीमच ---आवेदक

विरूद्ध

1- ग्राम पंचायत घोटा पिपलया एंव ग्रामवासी
ग्राम घोटा पिपल्या तहसील मनासा
2- भंवरलाल पुत्र रतनलाल बोरा
3- मोहनलाल पुत्र हीरालाल
4- श्रीमती काशीवाई पत्नि रामदयाल मंत्री
सभी निवासीगण नगर मनासा
तहसील मनासा जिला नीमच म0प्र0 ----अनावेदकगण

(श्री विशाल महाडिक अभिभाषक - आवेदक)
(श्री एन.एस.सिसोदिया अभिभाषक - अनावेदक क्र-1)

आ दे श

(आज दिनांक 28 जनवरी 2016)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, मनासा जिला नीमच व्दारा प्रकरण कमांक 16 बी 121/12-13 में पारित आदेश दिनांक 23-9-14 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

(2)

2/ प्रकरण का सारांश यह है कि अनावेदक कमांक-1 तथा अन्य ग्रामीणों का हस्ताक्षरित आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी, मनासा को अनावेदक कमांक 2,3,4 के विरूद्ध प्रस्तुत कर बताया गया कि ग्राम घोटा पीपल्या तहसील मनासा की भूमि सर्वे नंबर 189/10 रकबा 1.000 हैक्टर शासकीय पट्टे की भूमि भंवरलाल पुत्र रतनलाल को पट्टे पर प्राप्त है एंव खसरा के कालम नंबर 12 में अहस्तांतरणीय अंकित है किन्तु सन् 1996-97 के खसरे में इस भूमि पर नामांत्रण पंजी के सरल कमांक 2 पर आदेश दिनांक 22-5-98 से भंवरलाल के स्थान पर मोहनलाल पुत्र हीरालाल कुलमी का नाम अंकित किया है जो निरस्त किया जावे। अनुविभागीय अधिकारी, मनासा ने प्रकरण कमांक 16 बी-121/2012-03 पर पंजी किया तथा जांच कार्यवाही प्रारंभ की। जांच कार्यवाही के दौरान आवेदक ने आवेदन देकर विपक्षी कमांक 4 को सुनकर एंव साक्ष्य लेने तथा पट्टे का मूल प्रकरण न्यायालय में मंगाये जाने का निवेदन किया। अनुविभागीय अधिकारी ने सम्बन्धित पक्षकारों को सुनकर अंतरिम आदेश दिनांक 28-4-15 से दिनांक 5-8-14 को प्रस्तुत उक्त आवेदन अमान्य किया। इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी हैं।

3/ निगरानी मेमो में वर्णित तथ्यों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के साथ आवेदक की ओर से प्रस्तुत लेखी बहस का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से परिलक्षित है कि ग्राम पंचायत एंव अन्य ग्रामीणों के हस्ताक्षरयुक्त शिकायत की जांच अनुविभागीय अधिकारी मनासा व्दारा की जा रही है तथा जांच के दौरान आवेदक ने दिनांक 5-8-14 की पेशी पर आपत्ति आवेदन दिया है। प्रकरण में संलग्न खसरा सन 1991-92 अनुसार खसरे के कालम नंबर 3 में इस प्रकार अंकन है " **भंवरलाल पि.रतनलाल बोरा सा.दे. (शा.पट्टाग्रहीता)** " अनुविभागीय अधिकारी व्दारा शिकायत आवेदन पर जांच इस बिन्दु पर की जा रही है कि जब भंवरलाल पि. रतनलाल बोरा सा.दे. (शा.पट्टाग्रहीता) अभिलेख में अंकित है तब इस भूमि पर बिना सक्षम अनुमति के नामांत्रण पंजी के सरल कमांक 2 पर आदेश दिनांक 22-5-98 से भंवरलाल के स्थान पर

मोहनलाल पुत्र हीरालाल कुलमी का नाम खसरा 2002-03 लगायत 2005-06 तक में किन कारणों से अंकित हुआ है। विचाराधीन प्रकरण में मूल पटटे के प्रकरण की आवश्यकता नहीं है मात्र ग्राम की नामान्तरण पंजी, खसरों में हुये नाम परिवर्तन की जांच से सही तथ्य सामने आ जावेगा, इसीलिये अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 23-9-14 से आवेदक द्वारा पेशी 5-8-14 को प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष दिखाई नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी मनासा के समक्ष प्रकरण में जांच कार्यवाही विचाराधीन है एंव आवेदक जो तथ्य इस न्यायालय के समक्ष रखना चाहता है, उसे अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष रखने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी व्यर्थ होने से अनुविभागीय अधिकारी मनासा द्वारा प्रकरण कमांक 16 बी 121/12-13 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23-9-14 यथावत् रखे जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अनुविभागीय अधिकारी मनासा द्वारा प्रकरण कमांक 16 बी 121/12-13 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23-9-14 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर